

बिहार सरकार  
उद्योग विभाग  
राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्सद सचिवालय  
द्वितीय तल, विकास भवन, बेली रोड, पटना  
E-mail: sipbbihar16@gmail.com. Website: w.w.w.udyog.bihar.gov.in

सं० सं०—एस०आई०पी०बी००२०१७००४९७.....  
सेवा में,

दिनांक—

महालेखाकार (ले० एवं हक०),  
बिहार, पटना।

विषय— मेसर्स पाटलीपुत्रा पॉलीमर्स प्रा० लि०, पटना द्वारा औद्योगिक क्षेत्र, फतुहा, पटना में पूर्व से स्थापित 1200 मे० टन एवं 640000 लीटर प्रतिवर्ष क्षमता डिस्पोजेबल ग्लास एवं पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर की ईकाई के क्षमता विस्तार हेतु ईकाई के स्थापना हेतु प्रथम किस्त ब्याज अनुदान के रूप में रू० 5,76,429/- (मात्र पाँच लाख छिहत्तर हजार चार सौ उनतीस रूपए) मात्र अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश: स्वीकृत।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मेसर्स पाटलीपुत्रा पॉलीमर्स प्रा० लि०, पटना द्वारा औद्योगिक क्षेत्र, फतुहा, पटना में पूर्व से स्थापित 1200 मे० टन एवं 640000 लीटर प्रतिवर्ष क्षमता डिस्पोजेबल ग्लास एवं पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर की ईकाई के क्षमता विस्तार हेतु ईकाई के स्थापना संबंधी प्रस्ताव में राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्सद की बैठक दिनांक 13.10.2017 को स्टेज-1 तथा दिनांक 26.03.2018 की बैठक में वित्तीय प्रोत्साहन विलयरेन्स प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई है। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली-2016 के नियम- 7 (2) (i) में निहित प्रावधान के आलोक में प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन भी प्राप्त है। यह ईकाई खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र के अंतर्गत गैर-प्राथमिकता सूची में है।

2. बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के अंतर्गत ईकाई के उत्पादन में आने के बाद ही अनुदान देय है, अतएव राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्सद सचिवालय के कार्यालय आदेश ज्ञापांक-216, दिनांक 05.03.2019 के द्वारा श्री आर० के० ठाकुर, संयुक्त उद्योग निदेशक, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना एवं महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, पटना द्वारा ईकाईयों का स्थल निरीक्षण कराया गया। जांच दलों के द्वारा उपलब्ध कराए गए स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन में ईकाई को दिनांक 01.07.2018 से कार्यरत बताया गया है। ईकाई बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के अंतर्गत अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र है।

3. ईकाई को 02 जुलाई, 2018 से 31 सितम्बर, 2018 तक प्रथम किस्त ब्याज अनुदान के रूप में कुल रू० 5,76,429/- (मात्र पाँच लाख छिहत्तर हजार चार सौ उनतीस रूपए) के अनुदान की स्वीकृति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है:-

(i) ईकाई न्यूनतम 5 वर्षों तक कार्यरत रहेगी। यदि 5 वर्षों के अंदर ईकाई बिना किसी औचित्य और सक्षम कारण के बंद होती है तो भुगतान की गई अनुदान की राशि 18% चक्रवृद्धि ब्याज के साथ वसूल की जाएगी।

(ii) ईकाई द्वारा अनुदान प्राप्ति के पश्चात् 5 वर्षों तक स्थापित मशीन-उपकरण, आधारभूत संरचना, भूमि की बिक्री/ लीज/ हस्तांतरण किसी अन्य को नहीं किया जाएगा।

(iii) अनुदान की गणना में त्रुटि पाए जाने पर अनुदान की राशि वसूल कर ली जायेगी।

(iv) ईकाई द्वारा अनुदान प्राप्ति हेतु झूठी उद्घोषणा किए जाने, उपलब्ध कराए गए कागजात के भविष्य में गलत पाए जाने पर भुगतान की गई अनुदान की राशि भुगतान की तिथि से 18% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के साथ वसूल की जाएगी।

(v) यदि ईकाई के द्वारा निर्धारित समय पर राशि वापस नहीं लौटाई जाती है तो राज्य सरकार द्वारा Public Demand Recovery Act के अंतर्गत ब्याज सहित उक्त राशि की वसूली भू-राजस्व के बकाये के रूप की जाएगी।

4. उक्त स्वीकृत राशि का व्यय विभागीय राज्यादेश सं०-3020, दिनांक-01.08.19 के आलोक में मुख्य शीर्ष 2852 उद्योग, उप मुख्य शीर्ष 80-सामान्य, लघु शीर्ष 102-औद्योगिक उत्पादकता, माँग संख्या 23, उप शीर्ष 0160-प्री प्रोडक्सन एवं पोस्ट प्रोडक्सन सुविधाओं की योजना, विपत्र कोड 23-2852801020160, विषय शीर्ष 0160.33. 01 सब्सिडी मद में चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

क्रमशः पृष्ठ-2

5. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, उद्योग निदेशक, बिहार, पटना होंगे।
6. इस राशि की निकासी नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से होगी।
7. इस राशि की निकासी पूर्व प्राप्ति रसीद पर बी० टी० सी० फार्म-25 पर की जाएगी।
8. इस राशि का भुगतान मेसर्स पाटलीपुत्रा पोलीमर्स प्रा० लि० को उनके एक्सिस बैंक लि०, पटना के खाता संख्या-913030054159459, IFS Code-UTIB0000142 में CFMS के माध्यम से की जाएगी।
9. प्रस्ताव एवं प्रारूप पर प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(पंकज कुमार सिंह)

उद्योग निदेशक

-सह-

सदस्य सचिव, एस०आई०पी०बी०,  
बिहार, पटना।

दिनांक-

ज्ञापांक— एस०आई०पी०बी००२०१७००४९७.....

प्रतिलिपि:—कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

उद्योग निदेशक

-सह-

सदस्य सचिव, एस०आई०पी०बी०,  
बिहार, पटना।

दिनांक-

ज्ञापांक— एस०आई०पी०बी००२०१७००४९७.....

प्रतिलिपि: वित्त विभाग, बिहार, पटना / योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

उद्योग निदेशक

-सह-

सदस्य सचिव, एस०आई०पी०बी०,  
बिहार, पटना।

दिनांक- 19-08-19

ज्ञापांक— एस०आई०पी०बी००२०१७००४९७. 31.59

प्रतिलिपि:— महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:— सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना को दो प्रतियों में / आई० टी० प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना / मेसर्स पाटलीपुत्रा पोलीमर्स प्रा० लि०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उद्योग निदेशक

-सह-

सदस्य सचिव, एस०आई०पी०बी०,  
बिहार, पटना।